उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-3/2018/148/पांच-8-2018-जी0(338)/2017

लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 शशि कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। पुन: शासन के कार्यालय आदेश संख्या-497/चि0-3-12-जी-25/2012, दिनांक 04-04-2012 द्वारा डा0 तिवारी की तैनाती जनपद-गाजीपुर से संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर के अधीन की गयी। डा0 तिवारी ने प्राथ0स्वा0 केन्द्र, किशनपुर, सुल्तानपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के आदेश दिनांक 31-05-2013 द्वारा डा0 शशि कुमार तिवारी को जनपद-सुल्तानपुर से जनपद-बागपत स्थानान्तरित किया गया। डा0 तिवारी द्वारा दिनांक 25-06-2013 को प्राथ0स्वा0 केन्द्र, खेकड़ा, बागपत में कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 तिवारी दिनांक 14-01-2014 को बिना किसी सूचना के अवकाश पर चले गये। डा0 तिवारी ने पत्र दिनांक 14-07-2015 द्वारा योगदान करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत के आदेश दिनांक 14-07-2015 द्वारा डा0 तिवारी को पुन: कार्यभार ग्रहण कराया गया। पुन: डा0 तिवारी दिनांक 02-02-2016 को बिना किसी सूचना के अनपुस्थित हो गये। डा0 शशि कुमार तिवारी द्वारा दिनांक 11-08-2017 को पुन: कार्यभार ग्रहण कराने का अनुरोध किया गया।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्सधिकारी, बागपत के पत्र दिनांक 18-11-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शशि कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को **मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर के अधीन** पुन: कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ/मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध होने वाली आख्या के आधारपर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 शशि कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को दिनांक 02-02-2016 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहते हुए शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 शशि कुमार तिवारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजबाद मण्डल, फैजबाद को जांच अधिकारी नामित करने के एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2018/148(1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शशि कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ।

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित आदेश की तामीली सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर को इस आशय से प्रेषित कि डा0 शशि कुमार तिवारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके विरूद्ध संगत साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कराकर तीन प्रतियों में शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत।

7- कोषाधिकारी, बागपत/सुल्तानपुर।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद)।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।